न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा

वादी: बीधा बनाम मदनराज सिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मुकदमा नम्बर: 20/17 राजस्ववाद

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
शिवराम-नामी (प्रेम बीधराज)
वादी
बनाम मदनराज सिंह

16/5/18 आज पट पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-2018 आपके द्वारा कैम्प मोरेना में पेश हुई। पक्षकार हाजिर सम्प्रदाय की गयी। अवलोकन किया गया दावा इस आशय का पट्टा से किया गया है कि विवादित आराजी खसरा 41 रकबा 0.2 बिस्वा स्थित ग्राम चौहानपुरा तहसील राजाखेड़ा वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की संयुक्त आराजी है खसरा नं. 44 रकबा 0.2 बिस्वा वाके ग्राम चौहानपुरा मोर मु. रास्ता है जो वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नं. 42, 43 मोर मु. कुआ तक पड़ा है जो इस प्रकरण में विवादित है इसका उपयोग रास्ते के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण चिरकाल से करते आ रहे हैं। वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नं. 42, 43 में मु. कुआ एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नं. 45, 46 मोर मु. रास्ता खसरा नं. 44 से लगे हुए हैं। अब प्रतिवादीगण ने लठ के बल पर आ. खसरा नं. 44 रास्ते को अपनी खातेदारी के खेत खसरा नं. 45 व 46 में दीवाल डालकर व झोपड़ी डालकर मर्यादित किया है बाद में बिजली का पोल भी लगा दिया है। विरोध करने पर मारपीट पर आमादा हो गये तब वादीगण ने यह दावा न्यायालय दायर कर अवरुद्ध रास्ते को अतिक्रमण हटवाने एवं रास्ता खुलवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा दावा पट्टा किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मौके पर पक्षकारों को सुना एवं सम्प्रदाय मजमे आम में की गयी है। दोनों पक्ष समझौता करने पर सहमत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	इरादे को तैयार है। अतः आदेश है कि राजवादीगण इस प्रकार से लिखित डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार राजाखेड़ा वादीगण के क्र.न 41, 42 व 43 तथा प्रतिवादीगण के क्र.न 45 व 46 स्थित ग्राम पंचायत की पैमाइश करावे। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेतों की पैमाइश उपरान्त मध्य में जो जगह बचे वह रास्ता रहेगा। राजस्व रिकार्ड में उसे रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजाखेड़ा को पालना करनी है। पक्षकार डिक्री पारित के पश्चात पैमाइश खुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)